न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 17/2020

1 लालबहादुर ढ़ाका उम्र 48 वर्ष पुत्र भोपाल सिंह जाति जाट निवासी नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र होलाराम।
2 भवेश पुत्र किशनसिंह।
3 दीपेश पुत्र किशनसिंह।
4 सुमित्रा पत्नी किशनसिंह।
5 मोती पुत्र बजरंग सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 10.01.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद पीठासीन अधिकारी श्री राजपाल यादव आरएएस प्रकरण संख्या 66/2017/251ए आरटीएक्ट बनवानी लालबहादुर बनाम भंवरसिंह आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र सिंह फगेड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अरूण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 26.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट कृषि भूमि खसरा नम्बर 779/633 व खसरा नम्बर 781/635 ग्राम नेतड़वास वर्तमान तहसील धोद पुरानी तहसील सीकर जिला सीकर का खातेदार काश्तकार काबिज है इस कृषि भूमि में अपीलांट की पत्नी सुनिता सहखातेदार है उक्त भूमि संयुक्त खाते कब्जे की भूमि है इस कृषि भूमि में आवागमन का कोई कैकल्पिक मार्ग नही होने व रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता होने के कारण अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 13.09.2012 को धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जो कि क्षेत्राधिकार परिवर्तित हो जाने के कारण कालान्तर में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर के समक्ष अन्तरित हुआ। अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए 12 फिट रास्ता को 15 फिट चौड़ा करके रास्ता की, कृषि भूमि खसरा नम्बर 466 व 449 में मांग की जिनमें कृषि भूमि खसरा नम्बर 466 के खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 है एवं खसरा नम्बर 449 का खातेदार रेस्पोडेंट संख्यार 5 है जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत करके खसरा नम्बर 449 में से रास्ता के लिए सहमती प्रदान की एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने असहमती प्रकट की, परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग के अभाव को नजर अंदाज करके विरूद्व पत्रावली मनमोजीपन से धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन को खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट की भूमि तक रास्ता उपलब्ध नही है। राजस्व रिकार्ड में जो कटानी रास्ता है वह मौके पर विद्यमान नही है। अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है। विचारण न्यायालय ने धारा 251ए के विधिक प्रावधानो के विपरित विवेचन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रार्थी का प्रकरण साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट से भली भांति साबित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1098, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 285, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 574, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 706, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 980 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चारागाह के खसरा नम्बर 220 व निजी खातेदारी के खसरा नम्बर 466 में से रास्ता दिये जाने की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुसार कोई खातेदार या खातेदारों का समूह अपनी कृषि भूमि में काश्त करने हेतु अन्य खातेदार या खातेदारों की कृषि भूमि से अधिकतम 30 फीट चौडे नवीन रास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की मांग कर सकता है या विद्यमान रास्ते को चौड़ा कराने मांग कर सकता है। न्यायालय आत्यंतिक आवश्यकता साबित होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर डी.एल.सी. की दुगुनी दर पर रास्जव रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर सकता है। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में सरकारी चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि खसरा नम्बर 220 में से रास्ता दिये जाने की मांग की है, जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। जहां तक निजी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 466 में रास्ता दिये जाने का सम्बंध है, उसे भी स्वीकार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि खसरा नम्बर 466 तक पूर्व में दर्ज कोई कटानी रास्ता विद्यमान नहीं है अर्थात कोई भी कटानी रास्ता खसरा नम्बर 466 के नहीं लगता है। पुनः तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में तीन रास्तो A,B,व C का मय क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर तथा A का इससे अधिक बताया गया है। रास्ता C का अंकन खसरा नम्बर 452, 714/633 व 778/775 में किया गया है तथा इसको निकटतम दर्शाते हुये इसमें आने वाला क्षेत्रफल 776 वर्ग मीटर बताया है। तहसीलदार के उक्त तीनों प्रस्तावित रास्तों से स्पष्ट है कि रास्ते C में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल A व B में आने वाली भूमि से आधा है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा अप्रार्थी खातेदार की कम से कम मांगा गया रास्ता उक्त धारा के तहत नहीं दिया जा सकता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने 776 वर्ग मीटर वाले रास्ते C की मांग नहीं करके 1500 वर्ग मीटर भूमि के रास्ते A व B की मांग की है, जिसे स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने आर.आर.टी. 2016(1) पेज 440 की नजीर प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चारागाह के खसरा नम्बर 220 व निजी खातेदारी के खसरा नम्बर 466 में से रास्ता दिये जाने की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुसार कोई खातेदार या खातेदारों का समूह अपनी कृषि भूमि में काश्त करने हेतु अन्य खातेदार या खातेदारों की कृषि भूमि से अधिकतम 30 फीट चौडे नवीन रास्ते की मांग कर सकता है या विद्यमान रास्ते को चौड़ा कराने मांग कर सकता है। न्यायालय आत्यंतिक आवश्यकता साबित होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर डी.एल.सी. की दुगुनी दर पर रास्जव रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर सकता है। प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि खसरा नम्बर 220 में से रास्ता दिये जाने की मांग की है जबकि चाहे गए रास्ते की दक्षिण में खसरा नम्बर 2253/220 गैर मुमकिन शमशान है जिसमे से होकर रास्ता दिया जाना संभव नहीं है केवल राज्य सरकार की चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन कर सकती है। जहां तक निजी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 466 में रास्ता दिये जाने का सम्बंध है, उसे भी स्वीकार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि खसरा नम्बर 466 तक पूर्व में दर्ज कोई कटानी रास्ता विद्यमान नहीं है अर्थात कोई भी कटानी रास्ता खसरा नम्बर 466 के नहीं लगता है। पुनः तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में तीन रास्तो A,B,व C का मय क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर तथा A का इससे अधिक बताया गया है। रास्ता C का अंकन खसरा नम्बर 452, 714/633 व 778/775 में किया गया है तथा इसको निकटतम दर्शाते हुये इसमें आने वाल क्षेत्रफल 776 वर्ग मीटर बताया है। तहसीलदार के उक्त तीनों प्रस्तावित रास्तों से स्पष्ट है कि रास्ते C में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल A व B में आने वाली भूमि से आधा है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा अप्रार्थी खातेदार की कम से कम मांगा गया रास्ता उक्त धारा के तहत नहीं दिया जा सकता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने 776 वर्ग मीटर वाले रास्ते C की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मांग नहीं करके 1500 वर्ग मीटर भूमि के रास्ते A व B की मांग की है, जिसे स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट निकटतम रास्ते हेतु पृथक से नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर